

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1706 / 2025

शब्बीर अली

—अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर (राज.)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक केन्द्र बेसवा, सीकर (राज.)।
6. श्री सागर, नर्सिंग अधिकारी, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज, जिला सीकर (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2025

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह / पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेसवा, फतेहपुर, जिला सीकर

में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से श्रीकल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी एक पैर से विकलांग है, जो अनुलग्नक-2 से स्पष्ट है। अपीलार्थी की पत्नी बीमार है और माता-पिता वृद्ध हैं एवं अपीलार्थी की शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी उसका स्थानांतरण किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरुद्ध है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे मामलों में स्थानांतरण उचित नहीं माना है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेसवा, फतेहपुर, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से श्रीकल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर में किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की विकलांगता एवं व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार

एवं समन्वयक (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आदेश जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप-6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन संबंधित विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष